

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 69 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण, राजस्थान द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसके द्वारा बनाये गये राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 (जिल्द-1) को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम अनुमोदित और प्रकाशित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम (जिल्द-1), 2018 है।


(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 74 का संशोधन.- राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 (जिल्द-1) के नियम 74 के विद्यमान उप-नियम (2ड) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(2ड) अधिनियम के अधीन संदेय फीस की रकम के अवधारण में, एक रुपये की कोई भी भिन्न, जो 50 पैसे के बराबर या उससे अधिक हो, अगले एक रुपये में पूर्णांकित की जायेगी और 50 पैसे से कम की ऐसी भिन्नों को हिसाब में नहीं लिया जायेगा।”

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-194]

राज्यपाल के आदेश से,


प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018**

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 69 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby approve and publish the following rules further to amend the Rajasthan Registration Rules, 1955 (Volume-I), made by the Inspector General of Registration, Rajasthan in exercise of the powers conferred on him by sub-section (1) of the section 69 of the said Act, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Registration (Amendment) Rules (Volume-I), 2018.
(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 74.- The existing sub-rule (2E) of rule 74 of the Rajasthan Registration Rules, 1955 (Volume-I) shall be substituted by the following, namely:-

"(2E) In determining the amount of fee payable under the Act, any fraction of one rupee, equal to or exceeding 50 paise shall be rounded off to next one rupee, and such fractions of less than 50 paise shall be disregarded."

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-194]

By order of the Governor,


(Praveen Gupta)

Secretary to the Government